प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ माननीय श्री विजय कुमार श्रीवास्तव, न्यायाधीश

सिविल पुनरीक्षण याचिका संख्या 140/2004

याचिकाकर्तागण: 1. आर. एस. चतुर्वेदी, पिता स्व. युधिष्ठिर चतुर्वेदी, उम्र लगभग 75 वर्ष, सेवानिवृत्त डिप्टी कलेक्टर।

2. कमला चतुर्वेदी, पति आर. एस. चतुर्वेदी, उम्र लगभग 72 वर्ष।

3. सुमित चतुर्वेदी, पिता आर. एस. चतुर्वेदी, उम्र लगभग 39 वर्ष।

4. माया चतुर्वेदी, पिता श्री आर. एस. चतुर्वेदी, उम्र लगभग 42 वर्ष।

5. मृत्युंजय चतुर्वेदी, पिता श्री आर. एस. चतुर्वेदी, उम्र लगभग 45 वर्ष।

उपरोक्त सभी निवासी: 27 खोली, विकास नगर, बिलासपुर।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

उत्तरवादी: स्नेहलता चतुर्वेदी, पिता भगवान दीन शर्मा, उम्र लगभग 43 वर्ष, पेशा – आबकारी निरीक्षक, आबकारी विभाग, बिलासपुर (छ.ग.)।

उपस्थित:

श्री राजीव श्रीवास्तव, अधिवक्ता याचिकाकर्ताओं की ओर से ।

श्री राजीव भरत अधिवक्ता उत्तरवादी की और से

आदेश

(दिनांक 21/06/2005 को पारित)

यह पुनरीक्षण जिला न्यायाधीश, अम्बिकापुर सरगुजा, द्वारा विविध सिविल अपील क्रमांक 02/2004 में पारित आदेश दिनाक 3/08/04 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है |

(2) उत्तरवादी/आवेदिका श्रीमती स्नेहलता चतुर्वेदी द्वारा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 372 के अंतर्गत एक आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके पति अनिल चतुर्वेदी की मृत्यु के उपरांत देय विभिन्न राशियों हेतु उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रदान करने की प्रार्थना की गई। याचिकाकर्ता आर.एस. चतुर्वेदी एवं आपत्तिकर्तागण श्रीमती कमला चतुर्वेदी, मृत्युंजय चतुर्वेदी एवं सुमित चतुर्वेदी द्वारा यह तथ्य नकारा गया कि श्रीमती स्नेहलता चतुर्वेदी अनिल चतुर्वेदी की पत्नी हैं, और यह निवेदन किया गया कि अनिल चतुर्वेदी, जो शासकीय सेवा में कार्यरत थे, उन्होंने अपने जीवनकाल में नामांकन कर अपने पिता आर.एस. चतुर्वेदी, माता कमला चतुर्वेदी, भाइयों सुमित चतुर्वेदी एवं मृत्युंजय चतुर्वेदी को मृत्यु के उपरांत देय राशि प्राप्त करने हेतु नामांकित किया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(3) व्यव्हार न्यायाधीश वर्ग–1, सरगुजा, अम्बिकापुर द्वारा साक्ष्य के मूल्यांकन उपरांत उत्तराधिकार वाद क्र. 04/2000 में आदेश दिनांक 20/2/2004 में पारित किया गया तथा अभिनिर्धारित किया गया की (स्व.) अनिल चतुर्वेदी की उत्तराधिकारी केवल श्रीमती स्नेहलता चतुर्वेदी हैं। अनिल चतुर्वेदी द्वारा अपनी माता, पिता, भाई एवं बहन के पक्ष में किया गया नामांकन से उन्हें विधिक उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अनिल चतुर्वेदी के विवाह उपरांत उनकी पत्नी एवं संतानें ही उनके पारिवारिक सदस्य थे। अतः उनके आवेदन को स्वीकार करते हुए श्रीमती स्नेहलता चतुर्वेदी के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध याचिकाकर्ताओं द्वारा जिला न्यायाधीश, सरगुजा की न्यायालय में अपील प्रस्तुत किया गया । विविध अपील क्रमांक 2/2004 में आक्षेपित आदेश दिनांक 3/08//2004 द्वारा अपीलीय न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं द्वारा संसोधन हेतु प्रस्तुत अंतरिम आवेदन अस्वीकार कर दिया एवं याचिकाकर्ताओं द्वारा मूल आवेदन का सत्यापन न होने के संबंध में उठाई गई आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया तथा सम्पूर्ण साक्ष्य के विधिवत मूल्यांकन करने के उपरांत, यह पाया गया कि श्रीमती स्नेहलता चतुर्वेदी, स्वर्गीय अनिल चतुर्वेदी की विधिवत विवाहित पत्नी हैं तदानुसार अपील को निरस्त कर दिया ।

(5) दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का परिशीलन किया गया।

(6) याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत हुए विद्वान अधिवक्ता ने स्पष्ट रूप से यह तर्क किया कि याचिकाकर्ता यह विवाद नहीं कर रहे हैं कि श्रीमती स्नेहलता चतुर्वेदी, स्व. अनिल चतुर्वेदी की विधिवत विवाहित पत्नी नहीं हैं। बहस के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से यह कहा गया कि श्रीमती कमला चतुर्वेदी, स्व. अनिल चतुर्वेदी की माता होने के नाते, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 तथा अनुसूची–1 के अनुसार विधिक उत्तराधिकारी हैं। अतः राशि प्राप्त करने के उनके अधिकार को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनदेखा नहीं किया जा सकता था। वहीं दूसरी ओर, उत्तरवादी की ओर से प्रस्तुत विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि यदि श्रीमती कमला चतुर्वेदी, स्व. अनिल चतुर्वेदी की माता होने के नाते हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के धारा–8 और अनुसूची – 1 के अंतर्गत संपत्ति में कोई अधिकार रखती हैं, तो वे उक्त अधिकार की घोषणा हेतु अधीनस्थ न्यायालय में वाद दायर कर सकती हैं एवं तदानुसार अपना हिस्सा प्राप्त कर सकती हें ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(7) यह विवादित नहीं है कि अनिल चतुर्वेदी ने अपने जीवनकाल में सेवा शर्तों के अनुसार, अपनी मृत्यु पश्चात देय राशि हेतु नामांकन किया था और अपनी माता श्रीमती कमला चतुर्वेदी को नामांकित किया था। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 इस वाद के पक्षकारों पर लागू होता है, और हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार, स्व. अनिल चतुर्वेदी की संपत्ति उन उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित होगी जो अनुसूची–1 के खंड 1 में वर्णित हैं, जिसमें माता को विधवा के समकक्ष रखा गया है। अतः माता को भी अपने पुत्र की मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति में उत्तराधिकार प्राप्त करने का अधिकार है।

8) याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि वे अपील के ज्ञापन में उल्लिखित अन्य आधारों को चुनौती नहीं दे रहे हैं।

9) उत्तराधिकार द्वारा संपत्ति विरासत में प्राप्त करने का कोई विधिक अधिकार दिए बिना एक नामांकन, केवल उस व्यक्ति को राशि प्राप्त करने की अनुमति देता है जिसके पक्ष में नामांकन किया गया है। मृतक की पत्नी भी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 एवं अनुसूची–1 के अनुसार विधिक उत्तराधिकारी है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 373 न्यायालय को यह अधिकार प्रदान करती है कि वह विवाद का संक्षेप विचरण कर प्रमाण पत्र उस दावेदार को प्रदान करे, जो प्रथम दृष्टया से सर्वोत्तम अधिकार रखता है, प्रतीत हो। श्रीमती कमला चतुर्वेदी, जो स्व. अनिल चतुर्वेदी की माता हैं, ने भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 372 के अनुसार उत्तराधिकार प्रमाणपत्र हेतु कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया, जबकि प्रतिवादिनी, अनिल चतुर्वेदी की पत्नी, ने उक्त प्रमाणपत्र हेतु आवेदन किया था। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादिनी के पक्ष में जो उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्रदान किया गया, उसमें हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यद्यपि, माता एक विधिक उत्तराधिकारी होते हुए, विवादित संपत्ति में विधि अनुसार अपने हिस्से प्राप्त करने का अधिकार रखती हे |

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12) उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, यह पुनरीक्षण याचिका खारिज की जाती है।पक्षकारगण अपने–अपने वाद व्यय वहन करेंगे।

हस्ताक्षरित/–

(वी.के. श्रीवास्तव)

न्यायाधीश

DISCLAIMER:

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

TRANSLETED BY PRITI ROUT